Email:- ceo-zp.sheikhpura@gov.in
Mob:- 9473072487

कार्यालय जिला परिषद्, शेखपुरा

विज्ञापन संख्या 02/2024–25

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2325, दिनांक–12.03.2024 से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला परिषद, शेखपुरा के लिए सेवानिवृत कर्मियों की सेवाएँ संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निम्न प्रकार पदों पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र0	पदनाम	रिक्त पद	कोटि
1.	सहायक अभियंता	2	1.गैर आरक्षित 2.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
2.	कनीय अभियंता	1	1.गैर आरक्षित
3.	प्रधान सहायक	1	1.गैर आरक्षित
4.	उच्च वर्गीय लिपिक	1	1.गैर आरक्षित
5.	निम्न वर्गीय लिपिक	4	1.गैर आरक्षित 2.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 3.गैर आरक्षित 4.अनुसूचित जाति
6.	लेखा पदाधिकारी/लेखापाल	1	1.गैर आरक्षित

आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं समय– 6.11.2024 से 16.11.2024 अप0 02:00 बजे तक।

आवेदन प्राप्ति का स्थान– जिला परिषद कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।

संविदा पर नियोजन की शर्तें :–

1. आवेदक आवेदन पत्र में पूर्ण बायोडाटा सहित दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेवानिवृति के समय का वेतन विवरणी एवं पेंशन विवरणी का साक्ष्य तथा आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त पदों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदक सेवानिवृत जिला परिषद, बोर्ड निगम, लोक उपक्रमों के कर्मी अथवा सेवानिवृत सरकारी सेवक का होना अनिवार्य होगा परन्तु जिला परिषद शेखपुरा से सेवानिवृत कर्मी पात्र नही माने जायेंगें।
3. आवेदन करने वाले सेवानिवृत कर्मी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जायेगा।
4. सेवानिवृत उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी तथा इनका चयन प्रथमतः दो वर्षों के लिए किया जायेगा।
5. नियोजित पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर स्वतः संविदा नियोजन समाप्त हो जायेगा।
6. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सा–'सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मी का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वहीं होगा, किन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
8. सेवा संतुष्ट नही रहने की स्थिति में किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनकी संविदा रदद कर दी जायेगी।
9. विभागीय पत्रांक–2325, दिनांक–12.03.2024 के द्वारा दिये गये निर्देश की सभी शर्तें प्रभावी होगी।

18/10/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद,शेखपुरा

CEO\2024\Letter\Doc Page 12

Scanned with OKEN Scanner